N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0047 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/02/2025 15:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 12/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/02/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/02/2025 15:18:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 06.8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA VIGYAN NAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMESHCHAND MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATANLAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PARSHAD KE MAKAN KE PASS, KARNI NAGAR NANTA,BORKUI, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PARSHAD KE MAKAN KE PASS, KARNI NAGAR NANTA,BORKUI, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MULARAM		पिता:GHASIRAM	1. GRAM CHARAN KA BAS,POST CHAINPURA DADLI,UDHYOG NAGAR(SIKAR),SIKAR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 12.11.2024 समय 3.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित रमेशचन्द्र मीणा पुत्र श्री रतन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी- पार्षद के मकान के पास करनी नगर नान्ता, बोरकुई, कोटा, मोबाईल नम्बर- [redacted] ने मेरा आपसी परिचय करवाया तथा रमेशचन्द्र द्वारा उनको पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी रमेशचन्द्र मीणा को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र इस आशय का था कि-प्रार्थी करनी नगर, नान्ता बोरकुई, कोटा का निवासी हूं मैं ऑटो चलाता हूं। दिनांक 02.07.2024 को मैं सिटी पार्क के सामने अपना ओटो लेकर स्टेण्ड पर खडा था तभी वंहा तीन व्यक्ति अपनी मोटर साईकिल पर गलत दिशा सें शराब पीकर आये तथा मेरे ओटो के पास आकर गिर गये मैं ऑटो में बैठा हुआ था, तो उन्होने उठकर मेरे साथ मारपीट चालु कर दी तथा मुझसें पैसे छीन लिये तथा पत्थरों सें ऑटो को तोड दिया इस पर मैने 112 पर कॉल किया जिस पर पुलिस की फलाईंग गाडी वंहा आ गई तथा मुझे अपने साथ थाने पर ले गई तथा मुझसें उन लडको के विरुद्ध रिपोर्ट लेकर एफआईआर नं. 175/2024 दर्ज कर लिया तथा उन लडको को उसी समय पकडकर ले आये। इसके कुछ समय बाद मेरे पास थाना विज्ञान नगर सें श्री मूलाराम कानि. का फोन आया कि आपको थाने पर आना हैं आपके फायदे का काम हैं, जिस पर मै थाने पर गया तो मूलाराम ने बताया कि आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया हैं, उसमें एस.सी. एस.टी. एक्ट की धारायें लगी हैं, तथा वो लडके जनरल कास्ट से थे, इसलिए आपको समाज कल्याण विभाग की तरफ सें राशि दो किस्तों में 200000 रू. मिलेंगे जिसमें से प्रथम किस्त 50000 रू. की तथा द्वितीय किश्त 150000 रू. की मिलेगी, अतः आप आपके दस्तावेज आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र तथा बैंक डायरी की कॉपी इत्यादि मुझे दे दो, जिस पर मैने समस्त दस्तावेज उसको दे दिये तथा उसने एक फार्म पर मेरे हस्ताक्षर करवाये तथा मुझे कहा कि ये राशि तुमको दिलवाने की एवज मे तुमको 15000 रू. देने पडेंगे नहीं तो ये राशि तुमको नहीं मिलेगी। जिस पर मैने कहा कि आप तो मुझे ये राशि दिलवाओ, जिसके बाद करीबन 8 नवम्बर को मेरे खाते में 50,000 रू. आ गये, जिसके दूसरे दिन ही मेरे पास मूलाराम का फोन आ गया कि 15000 रू. लेकर विज्ञान नगर थाने पर आ जाओ। मैं नहीं गया तो उसने मुझे कई बार फोन कर दिया। मूलाराम मुझसें 15000 रू. लेने के लिए दबाव बना रहा हैं तथा कह रहा हैं कि अगर 15000 रू. नहीं दोगे तो तुम्हारी अगली किश्त तुम्हारे खाते में नहीं आने दूंगा, मैं श्री मूलाराम कानि. थाना विज्ञान नगर को मेरे जायज काम के बदले रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता तथा उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मूलाराम से मेरी पूर्व से कोई जान पहचान नहीं हैं तथा ना ही कोई लेनदेन बाकी हैं, अतः कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह, हैड कानि नं. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा श्री रमेशचन्द को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात, गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के एवं गोपनीय सत्यापन की निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिह है.कानि. को कार्यालय सें अपने-अपने वाहन सें थाना विज्ञान नगर के लिए रवाना किया। सांयकाल समय 7.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा एवं श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 अपने-अपने वाहन से कार्यालय में उपस्थित आये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के लाकर सुपुर्द किया तथा परिवादी ने कहा कि मैं मेरे ऑटो सें तथा नरेन्द्र जी इनकी मोटरसाईकिल सें रवाना होकर थाना विज्ञान नगर के पास पहुंचे थे वंहा सें मैने रिकॉर्डर चालु किया तथा ऑटो लेकर थाने पर गया नरेन्द्र जी भी थाने के पास ही खडे थे, मैं थाने में अन्दर गया तथा मूलाराम जी सें जाकर मिला तो उन्होने थाने के बाहर जाने का इशारा किया जिस पर मैं थाने के बाहर खडे हुये मेरे ऑटो के पास आ गया तथा कुछ समय बाद मूलाराम जी बाहर आये तथा उससें मेरी मेरे केस में मुझे मिलने वाले पैसो के संबंध में बात हुई तथ फिर मूलाराम ने उन

पैसो को दिलवाने की एवज में मुझसे बीस हजार रू. देने के लिए कहा मेरे द्वारा विनय करने पर अन्य वार्तालाप के पश्चात मूलाराम ने कहा कि तुम्हारे खाते में डेढ लाख रू. आ गये हों तो पन्द्रह हजार रूपये लेकर कल आ जाना। परिवादी सें डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर लेपटोप सें कनेक्ट किया गया तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में कोई फाईल रिकॉर्ड नहीं हुई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक फाईल 241112_1810 नाम की रिकॉर्ड हुई हैं जिसको चलाकर सुना गया तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता से परिवादी के कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त करने की फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी की आरोपी मूलाराम कानि. से रिश्वत मांग व कार्य के संबंध में वार्ता होना पाया गया है अतः अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 13.11.2024 को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने व गोपनियता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 13.11.2024 को समय 11.36 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र मीणा ने जरिये मोबाईल नरेन्द्र सिंह है.कानि को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली रकम लेकर 10-15 मिनट में एसीबी कार्यालय आ रहा हूँ। परिवादी के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय उप वन सरंक्षक, कोटा के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु श्री रवि यादव कानि. 285 को मय तहरीर रवाना किया गया जो कुछ समय बाद मय तहरीर पर अंकितशुदा गवाह मय दो कार्मिक श्री धीरज सैनी पुत्र श्री सुरेशचन्द माली जाति माली उम्र 24 साल निवासी- छोगा की बावडी, गुलाबबाडी, लाडपुरा, कोटा। हाल- कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उप वन सरंक्षक, कोटा। मोबाईल नम्बर-[redacted] एवं श्री मोहन लाल मेहता पुत्र श्री हरिशंकर जाति किराड उम्र 35 साल निवासी- ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद जिला कोटा ग्रामीण हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संक्षक, कोटा। मोबाईल नम्बर- [redacted] के उपस्थित आये, तत्पश्चात परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा भी कार्यालय हाजा उपस्थित आया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा का स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज कुमार व श्री मोहन लाल से आपसी परिचय करवाया तथा अब तक की गई कार्यवाही व होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी, जिस पर दोनों गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये, परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मालखाने से निकलवाया जाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी एवं आरोपी के मध्य 12.11.2024 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री मूलाराम कानि. की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी व श्री मोहन लाल के समक्ष श्री रमेशचन्द्र मीणा पुत्र श्री रतन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी- पार्षद के मकान के पास करनी नगर नान्ता, बोरकुई, कोटा ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10 हजार रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है- क्र.स.- नोट नोट का नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 AD 550258 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 DH 751822 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 TL 817214 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AA 065610 5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 BG 632737 6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 DV 578965 7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 GH 574263 8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 AC 889734 9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 BF 986624 10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 FG 859723 11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 MB 388086 12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 HT 526704 13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 HN 552732 14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AE 396931 15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 GC 827783 16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 GC 827782 17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 KH 757137 18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 GB 331719 19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 AD 920779 20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 NC 940227 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के द्वारा मालखाने से फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडासा फिनॉल्फथीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फथीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री धीरज सैनी से श्री रमेशचन्द मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फथीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 सें सीधे ही श्री रमेशचन्द मीणा की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मन सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के फिनॉल्फथीलीन

पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुंलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री रमेशचन्द मीणा को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब सें निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी को जरिये श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों के पाउडर लगाने में प्रयुक्त अखबार एवं प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी धुलवाकर उसको कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री रमेशचन्द मीणा एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्ड देकर उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी के गले में धागे सें लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही से पूर्व परिवादी द्वारा श्री मूलाराम के थाना विज्ञान नगर में उपस्थिती बाबत तलाश करवाया तो मूलाराम का थाना विज्ञान नगर में नहीं होना पाया, जिस पर परिवादी श्री रमेशचन्द द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि अभी मैने मूलाराम के बारे में तलाश करवाया तो वह थाने पर उपस्थित नहीं हैं तथा आज कोटा में ओम बिरला जी की लडकी की शादी भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री एवं अन्य बहुत से मंत्री वगैरहा आ रहे हैं तो हो सकता हैं उसकी ड्यूटि लग गई हो। परिवादी ने बताया कि श्री मूलाराम अभी थाने पर उपस्थित नहीं हैं अतः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आईन्दा दिनांक 14.11.2024 को रखना प्रस्तावित किया तथा परिवादी की पैंट मे रखे हुये नोटों को स्वतंत्र गवाह धीरज सैनी सें निकलवाया जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर मालखाने में रखवाये गये तथा परिवादी के गले में धागे सें लटकाये गये डिजीटल वॉयस रिकार्डर को प्राप्त कर मालखाने में रखवाया गया तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को दिनांक 14.11.2024 को प्रातः 11.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने बाबत हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 14.11.2024 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता कार्यालय में उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप टीम तैयार कर ट्रेप में काम आने वाले उपकरण मालखाने सें निकलवाये गये तथा ट्रेप कार्यवाही में जाने से पूर्व परिवादी श्री रमेशचन्द्र मीणा ने आरोपी श्री मूलाराम के मोबाईल पर कॉल किया, जिस पर श्री मूलाराम ने आरोपी को कहा कि आज तो मैं मेरे गावं की तरफ आ गया वापस आकर आपको फोन करता हूं। वार्ता सें ज्ञात हुआ हैं कि आरोपी थाना विज्ञान नगर कोटा में उपस्थित नहीं हैं तथा आरोपी के थाना विज्ञान नगर, कोटा वापस आने पर कार्यवाही की जानी हैं, अतः परिवादी को आरोपी मूलाराम सें पुनः सम्पर्क होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने की हिदायत की व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। दिनांक 06.12.2024 समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द मीणा चौकी हाजा उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 14.11.2024 सें आज दिनांक तक मेरे पास मूलाराम का कॉल नहीं आया हैं तथा ना ही समाज कल्याण विभाग से मेरे खाते में बचे हुये 1,50,000 रू. आये हैं। परिवादी को आरोपी का कॉल आने या सम्पर्क करने पर मन उप अधीक्षक को अवगत कराने की हिदायत कर गोपनीयता बनाये रखने बाबत अवगत कराकर रवाना किया गया। दिनांक 15.01.2025 समय 1.30 पी.एम. परपरिवादी श्री रमेशचन्द मीणा कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक हस्तलिखित प्रार्थना मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो इस आशय का हैं- प्रार्थी द्वारा थाना विज्ञान नगर में दर्ज करवाई गई एफआईआर नं. 175/2024 में मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि दिलवाने की एवज में थाना विज्ञान नगर कोटा के कानिस्टेबल श्री मूलाराम द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस पर दिनांक 12.11.2024 को प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर मूलाराम के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उसको रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत हस्तलिखित प्रार्थना पेश किया था, जिस पर श्रीमान अनीष अहमद जी उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मुझे एक रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के देकर आरोपी एवं मेरे मध्य होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए देकर मेरे साथ श्री नरेन्द्र जी को थाना विज्ञान नगर भेजा था। थाना विज्ञान नगर पर मेरी मूलाराम सें बातचीत हुई थी जिसमें मूलाराम ने समाज कल्याण विभाग सें मुझे मिलने वाले पैसों को दिलवाने की एवज में 20,000 रू. की मांग की थी तथा मेरे द्वारा विनय करने पर उसने कहा था कि अगर तुम्हारे खाते में डेढ लाख रू. आ गये हो तो पूरे पैसे ले आना जिस पर मैने उससे कहा था डेढ आगये तो पन्द्रह ले आऊंगा, जिस पर हंसते हुए वो सहमत हुआ था, जिसके बाद मैं दिनांक 13.11.2024 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू. की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय आया था, एसीबी कार्यालय में नोटों पर रंग लगाया था तथा बाद में मूलाराम के थाना विज्ञान नगर पर उपस्थित बाबत तलाश किया तो वो उस समय थाना विज्ञान नगर पर नहीं

होना ज्ञात होने पर रिश्वत की राशि देने की कार्यवाही नही की गई तथा रिश्वत की राशि एसीबी के मालखाने में रखवाकर मुझे मेरे घर भेज दिया था, इसके बाद दिनांक 14.11.2024 को मैं एसीबी कार्यालय में पुनः गया था तथा मूलाराम के पास जाने सें पूर्व में मैने मूलाराम सें जरिये फोन वार्ता कर पूछा तो उसने बताया कि आज तो मैं मेरे गावं की तरफ आ गया वापस आकर आपको फोन करता हूं। अतः दिनांक 14.11.2024 को मूलाराम कोटा में उपस्थित नहीं होने सें कार्यवाही नहीं हुई तथा मै वापस घर आ गया इसके कई दिनो तक मैंने मूलाराम के फोन का इन्तजार किया, किन्तु उसका फोन नहीं आया। उक्त समस्त कार्यवाही को बहुत समय हो गया हैं तथा मूलाराम ने मुझसे कोई सम्पर्क नहीं किया हैं चुंकि मूलाराम सें रिश्वत मांग के सत्यापन से पूर्व बहुत फोन कॉल आये थे तथा दिनांक 14.11.2024 के बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया हैं तथा मैने तलाश किया तो मूलाराम थाना विज्ञान नगर में ही पदस्थापित हैं। अतः मुझे लगता हैं मूलाराम को कोई शंका हो गई तथा अब वो मुझसें कोई रिश्वत नहीं लेगा ना ही बात करेगा। अतः मेरे द्वारा मूलाराम को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि मुझे सुपुर्द करें तथा मेरे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबंध में कार्यवाही की जानी हैं अतः पूर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता को जरिये मोबाईल कॉल करवाकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया, जिस पर समय 2.00 पी.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता कार्यालय में उपस्थित आये, स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान के परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया।समय 2.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता के समक्ष परिवादी श्री रमेशचन्द्र एंव आरोपी श्री मूलाराम कानि. थाना विज्ञान नगर के मध्य दिनांक 12.11.2024 को रिश्वत मांग के संबंध में हुई वार्ता, जिसें परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में 241112_1810 नाम की एक फाईल रिकॉर्ड हुई हैं। रिकॉर्ड वार्ता के चार पेन ड्राईव श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा तैयार करवाये गये, डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को लेपटोप के जरिये कॉपी कर KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कम्पनी के 4 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक पेन ड्राईव के कवर सहित कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर (IC RECORDER ICD-UX560F SONY CORP.MADE IN CHINA 5V 2386607) को कपडे की थैली मे सील्ड मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता के समक्ष परिवादी श्री रमेशचन्द्र द्वारा दिनांक 13.11.2024 को आरोपी को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि को मालखाने सें निकलवाकर कर सुपुर्द की गई तथा फर्द सुपुर्दगी नोट बनाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 4.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री मोहन लाल मेहता एवं श्री रमेशचन्द मीणा को अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना गया किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा रिकॉर्ड वार्ता को अनुसंधान अधिकारी के पेन ड्राईव से सुना गया तो पाया कि परिवादी द्वारा पेश शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.11.2024 को रिश्वत की मांग का सत्यापन परिवादी द्वारा आरोपी मूलाराम सें किया गया। रिकॉर्ड वार्ता से पाया कि परिवादी दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी श्री मूलाराम द्वारा रिश्वत की मांग की गई वार्ता के हिन्दी अनुवाद के अंश निम्न प्रकार हैं- आरोपी देखो मुझे रिकॉर्ड के हिसाब से एक लाख आज डल गये नहीं डले तो भी एक तो एक दो दिन में डल जायेंगे। परिवादी अच्छा आरोपी लेकिन मेरे हिसाब से डल गये मैने देखा था अभी परिवादी अच्छा आरोपी पूरा पोर्टल अपडेट बता रहा हैं परिवादी अच्छा आरोपी बाकी पचास तो सौ परसेंट डल गये वो तो पांच को ही डल गये देखो परिवादी हां पचास तो साथ ही डलते हैं के बाद में डलते हैं ये आरोपी नही नहीं नहीं ये एक साथ नहीं डलते परिवादी एक साथ आरोपी भई वो पचास एक बार के थे फिर चालान के थे फिर एक कलम ओर आयेगी वो ये परिवादी अच्छा अच्छा आरोपी अलग-अलग ही रहता हैं इनका सिस्टम एक साथ का नहीं रहता कोई सिस्टम ये तो बजट नहीं हैं नहीं तो कब के ही डल जाते परिवादी हां बजट बजट आरोपी इतना लेट ही नहीं होते परिवादी हां मैं गया था ना वंहा समाज कल्याण आरोपी हां मतलब झूंठ नहीं बोलता हूं में किसी आदमी को गुमराह भी नहीं करता भई मेरे को गुमराह करने सें क्या मतलब आपको उपरोक्त वार्ता सें स्पष्ट हैं कि परिवादी द्वारा थाना विज्ञान नगर में दर्ज करवाये गये एस.सी.एसटी. एक्ट के प्रकरण में परिवादी को प्रकरण की स्टेज अनुसार रकम समाज कल्याण विभाग सें मिलनी थी, जिसका बजट नहीं आने सें परिवादी के खाते में अभी तक डेढ लाख रू. नही आये थे, जिनके संबध में वार्ता हुई तथा बाद में रिश्वत राशि खाते में रकम आये अनुसार देने के संबंध में वार्ता हुई हैं- परिवादी तो उनसें पूछ लेंगे भई क्या करना हैं क्या नहीं करना आरोपी अब देख करना तो मैने आपको पहले इषारा बताया होगा उस हिसाब सें कर देना परिवादी नहीं पहले तो बता दिया पर वो आरोपी बाकी मेरा ये रहता हैं देख परिवादी हं आरोपी रमेश जी परिवादी हुं आरोपी भई तुम्हारी इच्छा हो उस हिसाब से क्यों मेरे बच्चे इतने इतने छोटे हैं हं (हंसते हुए) वो बात हैं परिवादी अरे वो तो बच्चे की थोडी कह रहा हूं मैं तो जो यूं केह रहा हूं मै तो भई अभी का क्या रहेगा आरोपी जैसी आपकी इच्छा हो परिवादी मेरी क्या इच्छा हैं वो तो आप कहोगे जैसे ही

करूंगा मैं तो आरोपी नहीं नहीं जैसी इच्छा हो वैसे भई जैसे पचास आये पचास आये तो दसेक हजार कर दो परिवादी दस हजार वो अभी तो पांच ही ले लो यार आरोपी फिर बाद मे कर लेंगे..... परिवादी पांच हजार ले लो आरोपी फिर आपकी जैसी जैसी इच्छा परिवादी अरे आरोपी हसंते हुऐ परिवादी अभी अगर पचास आये आरोपी हां परिवादी तो पांच हजार रूपये ले आऊंगा आरोपी ओर फिर लाख आयेंगे तो लाख भी आ गये होंगे बायचांस परिवादी लाख आ गये तो फिर पूरे जो होगा जो आपका कर दूंगा आरोपी क्या करोगे परिवादी हं आरोपी क्या करोगे परिवादी दसेक कर दूंगा ओर क्या आरोपी ह ह ह (हंसते हुए) नही होगा बीस कर देना परिवादी हं आरोपी बीस कर देना जाओ परिवादी बीस तो बहुत हो जायेगा आरोपी पन्द्रह कर देना लाला बस परिवादी हं आरोपी पन्द्रह कर देना मेरी भी ... रखो आप परिवादी पन्द्रह की तो पहले ही कही थी पचास पन्द्रह हजार की तो आपने आरोपी दस की ही बोली थी परिवादी हं आरोपी दस हजार की ही परिवादी नहीं नहीं पहले यूं कही थी कि पन्द्रह हजार रूपये मेरा ध्यान रखना अब आप यूं कह रहे हो कि बीस कर देना आरोपी नहीं नहीं जैसी आपकी इच्छा मैने तो आप .....आये जब सें ही ये ही कह रहा हूं जैसी आपकी इच्छा परिवादी नहीं नहीं वो मेरे कहने का मतलब यूं था आरोपी डेढ पूरे आ गये परिवादी हां आरोपी तो पन्द्रह ले आना परिवादी पन्द्रह हजार आरोपी हां परिवादी अच्छा आरोपी ये एक तो अगर पचास ही आये ना परिवादी दस ही तो करो यार गरीब आदमी हूं आरोपी अब यार देख फिर तो तुमसे एक रूपया भी नी दे ओ कोई से परिवादी अठी तो सुनो मेरी पचास हजार तो मेरे हाथ में लग गये देखो जी टाईम पर आरोपी अब देखो (हंसते हुए) रमेश जी तथा फिर परिवादी हां तो कल मैं आपको आरोपी फोन कर देना बाहर ही फोन कर देना अन्दर मत आना बाहर ही कर देना हैं ना परिवादी तो कंहा मिलोगे यंही आरोपी यंही मिल जाऊंगा या इधर आसपास लिफाफे में डालके सिस्टम सें लाना तुम यार हैं ना परिवादी नहीं नहीं वो तो आरोपी डेढ आ जाये तो पूरे ही ले आना भलेही परिवादी पन्द्रह हजार आरोपी अरे यार रमेश जी परिवादी थोडा कम यार यूं क्या करते हो हं आरोपी ठीक है ना परिवादी फोन पे में बात ही नंही करी इसिलिए तो पर्सनल की हैं मैने कहा जो कम ज्यादा करना हैं ना कम ज्यादा करना हैं तो उस हिसाब से आरोपी कम ज्यादा नहीं पन्द्रह चलने दो ठीक हैं ना परिवादी ठीक हैं उपरोक्त वार्ता सें स्पष्ट हैं कि आरोपी द्वारा परिवादी सें उसके प्रकरण मे सरकार की तरफ सें मिलने वाली राषि परिवादी को दिलवाने के लिए, आरोपी द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाकर उपरोक्त राशि प्राप्त किये जाने हेतु प्रक्रियांए पूर्ण की गई तथा उपरोक्त प्रक्रियाएं पूर्ण करने की एवज में आरोपी मूलाराम द्वारा परिवादी सें 20,000 रू. की रिश्वत की मांग की गई तथा परिवादी को उपरोक्त रकम कब मिलने वाली हैं तथा कब कितनी रकम परिवादी श्री रमेशचन्द के खाते में कब डली, इस संबंध में भी आरोपी को पूर्ण ज्ञान हैं जो थाने के कम्प्यूटर पर ऑनलाईन पोर्टल पर देखकर परिवादी सें रिश्वत की राशि बाबत सम्पर्क करता है। अब तक की कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी द्वारा थाना विज्ञान नगर में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 175/2024 धारा 341,323,327,427,329,504,34बी, 3(2)(v)3(2),(va) एस.सी.एसटी. एक्ट में परिवादी को प्रकरण की स्टेज अनुसार समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली पीडीत प्रतिकर राशि दिलवाने में मदद करने की एवज में आरोपी श्री मूलाराम कानि. थाना विज्ञान नगर, कोटा द्वारा रिश्वत राशि 15,000 रू. की मांग की गई तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 20,000 रू. की मांगकर परिवादी द्वारा विनय करने पर 15000 रू. लेकर आने के लिए कहा तथा बाद सत्यापन दिनांक 13.11.2024 एवं 14.11.2024 को ट्रेप कार्यवाही के प्रयास के समय आरोपी परिवादी के कहेनुसार मूलाराम कानि. के थाने पर उपस्थित नहीं होने कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा दिनांक 14.11.2024 से पूर्व आरोपी मूलाराम द्वारा रिश्वत की राशि लेने हेतु परिवादी सें कई बार कॉल कर सम्पर्क करने तथा दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 15.01.2025 तक परिवादी सें आरोपी द्वारा कोई सम्पर्क नहीं करने सें आरोपी को परिवादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध करवाई जाने वाली कार्यवाही का अंदेशा हो जाने सें परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के क्रम में राशि नियमानुसार लौटाई गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि थाना विज्ञान नगर में पदस्थापित कानि. मूलाराम द्वारा थाना विज्ञान नगर में दर्ज प्रकरण में परिवादी को समाज कल्याण विभाग सें मिलने वाली राहत राशी को दिलवाने की एवज में 20,000 रू. की मांग की तथा परिवादी द्वारा विनय करने पर पन्द्रह हजार रू. लेने पर सहमत होने सें आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री मूलाराम कानि. के विरूद्ध प्रकरण धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दर्ज करने की अनुशंशा के साथ रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। भवदीय (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुलाराम पुत्र श्री घासीराम उम्र 36 निवासी ग्राम चारण का बास पोस्ट चैनपुरा दादली थाना उधोगनगर जिला सीकर हाल कानि0 685 थाना विज्ञाननगर कोटा शहर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचन्द,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रइन्टें, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 493 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 246-49 दिनांक 28-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश

एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Tara Chand **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/02/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/03/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)